

प्रयागराज विकास प्राधिकरण

पत्रांक : 73 / प्र0अ0-भवन / जोन-5 / 2019-20

दिनांक

17 / 05 / 2019

अनुमति-पत्र

यह अनुमति पत्र उप0प्र0 नगर नियोजन तथा विकास अधिनियम 1973 की धारा 14 व 15 के अन्तर्गत दी जाती है, किन्तु अर्थ यह न समझना चाहिये कि उस भूमि के सम्बन्ध में जिस पर प्रस्तावित एम0जी0 इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मसी स्वीकृत किया जा रहा है, इससे किसी प्रकार या किसी स्थानीय निकाय या इसका स्थानीय अधिकारी या व्यक्ति अथवा फर्म के मालिकाना अधिकारों पर किसी का कोई असर पड़ेगा अर्थात् यह अनुमति किसी के मित्कियत या स्वामित्व के अधिकारों के विरुद्ध कोई प्रभाव न रखेगी।

श्री आनन्द अग्रवाल अध्यक्ष, अग्रवाल एजुकेशन सोसाइटी स्थल आराजी संख्या-52 मौजा-हबीबपुर, परगना-झूंसी, तहसील-फूलपुर, जिला प्रयागराज जोन संख्या (5) के अन्तर्गत एम0जी0 इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मसी निर्माण अनुमति हेतु दाखिल भवन के मानचित्र प्रस्तावित भाग पर निर्माण की अनुमति निम्नांकित प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान की जाती है :-

1. उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 15ए (1) के प्राविधानों के अनुरूप पूर्णता प्रमाणपत्र प्राप्त होने के पश्चात ही उपभोग/अधिभोग किया जायेगा, भवन निर्माण एवं विकास उपविधि 2008 में उपविधि संख्या-2.1.8 एवं 3.1.8 में निर्धारित प्रक्रिया पूर्ण कर पूर्णता प्रमाण-पत्र प्राप्त करना आवश्यक है।
2. स्वामित्व सम्बन्धी किसी भी विवाद पर मानचित्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।
3. स्थल पर 4x3 फिट का एक बोर्ड लगाकर स्वीकृति सम्बन्धी विवरण अंकित करना होगा।
4. स्थल पर 87 अदद वृक्ष लगाने होंगे तथा वृक्षों को हरा-भरा रखने का दायित्व आवेदक का होगा।
5. स्थल का अधिभोग/उपयोग स्वीकृत प्रस्तावना के अनुसार करना होगा।
6. निर्माण में प्रयुक्त सामग्री एवं मलवा अपने परिसर में ही रखना होगा।
7. स्थल पर समस्त आन्तरिक विकास कार्य स्वतः पूर्ण करते हुये उक्त का संयोजन Existing Services से करना होगा।
8. भवन पूर्ण होने पर सोलर वाटर हीटिंग संयंत्र की स्थापना आवश्यक रूप से करनी होगी।
9. रेनवाटर हार्वेस्टिंग का कार्य मानक के अनुसार पूर्ण करते हुये भू-गर्भ जल विभाग से अनापत्ति प्राप्त करना आवश्यक होगा।
10. यदि आवेदक द्वारा कोई महत्वपूर्ण सूचना छिपाई गयी है अथवा गलत सूचना दी गई है तो उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 15 (9) के अन्तर्गत मानचित्र निरस्त करने योग्य होगा।
11. यह स्वीकृत पत्र केवल 5 वर्ष की अवधि के लिये है। यदि भूखण्डों का उप-विभाजन अथवा पार्क एवं रोड इत्यादि का अतिक्रमण विकासकर्ता द्वारा किया जाता है तो प्र0वि0प्र0 द्वारा निमयानुसार उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।


Continued

12. मकान निर्माण से यदि नाली के सड़क की पटरी अथवा सड़क या नाली के किसी भाग (जो मकान के अगवाड़े पिछवाड़े अथवा उसके आकार के कारण ढक गई हो) को हानि पहुँचे तो गृहस्वामी तैयार होने जाने पर 15 दिन के भीतर अथवा यदि विकास प्राधिकरण ने एक लिखित सूचना द्वारा और शीघ्र कहा तो पहले ही उसे अपने खर्चे से मरम्मत कराकर पूर्ववत अवस्था जिससे विकास प्राधिकरण को संतोष हो जाय, में कर देगा।
13. गृह निर्माण के समय इसका भी ध्यान रखना होगा कि भारतीय विद्युत अधिनियम 1956 (इण्डियन इलेक्ट्रिसिटी रूल्स 1965) नियम 82 का उल्लंघन किसी भी दशा में न होना चाहिये। यदि विकास प्राधिकरण की जानकारी में ऐसे मामले पाये गये तो वह ऐसे निर्माण को रोक अथवा हटा सकता है।
14. आवेदक को नियमानुसार विकास प्राधिकरण को मकान की नींव तक तथा छत तक बन जानें एवं उसके पूर्ण हो जाने की सूचना मकान आबाद होने से पूर्व देना होगा तथा उस आदमी का नाम भी देना होगा जिसके निरीक्षण में मकान निर्मित हुआ है।
15. यदि निर्माण में मास्टर प्लान का उल्लंघन होता पाया गया तो निर्माणकर्ता को दी गई स्वीकृति रद्द समझी जायेगी और किया गया निर्माण अनधिकृत घोषित कर उक्त अधिनियम की धारा 27 (1) के अन्तर्गत कार्यवाही आरम्भ की जायेगी।



Deena. 17.05.2019
(सीमा सिंह)

संयुक्त सचिव/प्र0अ0-भवन
प्रयागराज विकास प्राधिकरण
प्रयागराज




PROJECT:-

PROPOSED M G INSTITUTE OF PHARMACY AT
KHASRA NO: 52, MAUZA-HABIBPUR, PARGANA- JHUNSI,
TEHSIL- PHOOLPUR, DISTRICT- ALLAHABAD (PRAYAGRAJ)

UNDER AGIES OF : AGARWAL EDUCATION SOCIETY, ALLAHABAD (PRAYAGRAJ)

Shekhar Verma
SHEKHAR VERMA B. Arch
Architect (C.A. 95/18560)

OTHERS PROPERTY



OTHERS PROPERTY

GRAMSABHA LAND

12 MT WIDE ROAD

CHAK ROAD

Agarwal Education Society
Anand Agarwal
Chairman